

पृ 9
25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी को
आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज
लाने के बावजूद भी वकील वादी व वादी
न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वादी
का वाद अप्रम हाजरी अप्रम पुरैबी में
खारीज किया जाता है। पत्रावली फलव
शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।
उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़